सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फैक्स व दूरभाष : 0761-2643182
ई–मेल/e-mail: zone.central.soi@gov.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

अपर महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE ADDL. S.G.
मध्य क्षेत्र Central Zone
सर्वे कालोनी, विजय नगर,
Survey Colony, Vijay Nagar,
जबलपुर –482002 (म.प्र.)
Jabalpur - 482002 (MP)

सं./No. 767 / 37-जी-9 (म.क्षे.) दिनांक/Date: 04 - 11 - 2016

मध्य क्षेत्र, नेमी आदेश संख्या– 02 /37–जी–9 दिनांक 04.11.2016

एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करना :–

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए–11019/1/2008–सी0डी0एन0 दिनांक 08.06.2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008–स्था0(डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में **अवर श्रेणी लिपिक** के पद पर नियुक्त हुये तथा वर्तमान में सहायक के पद पर कार्यरत् इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत **तृतीय** वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया :–

क.सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	एम.ए.सी.पी के लाभ की तिथि
01	श्री रामबरन, सहायक	मध्य क्षेत्र,जबलपुर	03.12.2016

02. एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त कर्मचारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिये एफ.आर. 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

03. उपरोक्त कर्मचारी के विरूद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं माने जायेंगे।

04. उपरोक्त कर्मचारी की पदोन्नति पर उनके वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष म.प्र. भू–स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, जबलपुर द्वारा किया जाएगा। वेतन निर्धारण पर होने वाला अतिरिक्त व्यय संबंधित कार्यालय के वर्ष 2016–17 के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

[प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी–5787/1902–एम.ए.सी.पी (मिनिस्ट्रीयल।।।) दिनांक 19.10.2016]

4/11/16

(एम0आई0 मलिक)
अपर महासर्वेक्षक
(सामयिक कार्यप्रभार)

क्रमश....2.....

<u>वितरण :–</u>

- **भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।**
- **अपर महासर्वेक्षकः** पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, शिलांग/उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र, चण्डीगढ़/पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ/दक्षिण–मध्य क्षेत्र, हैदराबाद/दक्षिणी क्षेत्र, बैंगलोर/विशिष्ट सेवायें क्षेत्र, देहरादून/भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद।
- **निदेशकः** महाराष्ट्र एवं गोवा जी.डी.सी., पुणे/छत्तीसगढ़ जी.डी.सी., रायपुर/भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवेदन निदेशालय, हैदराबाद/राष्ट्रीय जी.डी.सी., देहरादून/व्यवसाय एवं प्रचार निदेशालय, देहरादून/डी.एस.एस.डी.आई., दिल्ली/राजस्थान जी.डी.सी., जयपुर/पंजाब एवं चण्डीगढ. जी.डी.सी., चंडीगढ़/हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चंडीगढ़/हरियाणा जी.डी.सी., चंडीगढ़/जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी., जम्मू/ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी., कोलकाता/झारखण्ड जी.डी.सी., रॉची/उड़ीसा जी.डी.सी., भुवनेश्वर/उत्तराखण्ड जी.डी.सी., देहरादून/मेघालय व अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी., शिलांग/असम व नागालैण्ड जी.डी.सी., गुवाहाटी/ त्रिपुरा व मणिपुर जी.डी.सी., सिलचर/गुजरात, दमन व दीव जी.डी.सी/उत्तर प्रदेश जी.डी.सी., लखनऊ/बिहार जी.डी.सी., पटना/आंध्र प्रदेश जी.डी.सी., हैदराबाद/कर्नाटक जी.डी.सी., बंगलौर/तमिलनाडु, पाण्डिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी. चैन्नई/केरल व लक्षद्वीप जी.डी.सी., तिरूअनंतपूरम/सर्वेक्षण (हवाई) व दिल्ली जी.डी.सी., नई दिल्ली/उत्तरी मुद्रण वर्ग, देहरादून/दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद/पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता/पश्चिमी मुद्रण वर्ग, दिल्ली।
- निदेशक, मध्य प्रदेश जी.डी.सी. को सूचनार्थ प्रेषित।
- क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, कोलकाता।
- स्थापना एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियाँ)।